बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–10/2026(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..

डा0 मनोज चौधरी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर, गया के विरूद्ध जेनरेटर सचालक को वित्तीय वर्ष–2016–17 में 1,59,341/– रु० तथा वित्तीय वर्ष–2017–18 मे 1,73,590/–रु० अर्थात् कुल 3,32,931/– रु० अधिक भुगतान करने के आरोप मे विभागीय संकल्प सं0–1594(9) दिनांक–27.12 2019 एव संशोधित संकल्प सं0–988(9) दिनाक–10.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. सचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपो को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। विभागीय पत्राक–730(9) दिनांक–05 09.2022, पत्रांक–1673(9) दिनांक–21.11.2023 एव पत्रांक–1148(9) दिनांक–22.10.2025 द्वारा डा0 चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

3 डा0 चौधरी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा उनके संस्थान को औसतन प्रतिदिन 15–16 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती थी, परन्तु लो वोल्टेज रहने के कारण शीत श्रृंखला एवं अन्य उपकरणो को क्रियाशील रखने के लिए विद्युत आपूर्ति रहते हुए जेनरेटर का संचालन किया जाता था।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एव डॉ0 चौधरी से प्राप्त प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका स0–16211/2017 में दिनांक–08 10.2018 को पारित आदेश में गया जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में जेनरेटर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति के फलस्वरूप अधिकाय भुगतान होने की जॉच करने का निदेश दिया गया। विषयगत मामले की जॉच हेतु त्रि–सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया। जॉच समिति के पत्रांक–1099 दिनांक–26.06.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें डा0 चौधरी के विरूद्ध जेनरेटर संचालक को कुल 3,32,931/– रु० अधिक भुगतान करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। फलतः डॉ0 चौधरी के विरूद्ध जेनरेटर सचालक को कुल 3,32,931/–रु० अधिक भुगतान करने के आरोप मे संचयी प्रभाव से 2 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–406(9) दिनाक–20.04.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1027/लो0से0आ0 दिनाक–17.06 2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

6. अतएव डॉ0 मनोज कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर, गयाजी के विरूद्ध जेनरेटर संचालक को अधिक भुगतान करने के आरोप में संचयी प्रभाव के साथ 2 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

(15)

ज्ञापांकः–9/आ0–02–20/2022(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–20/2022(स्वा0) 702(9) **/ पटना, दिनांकः–** 07.07.26

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, गयाजी/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गयाजी/सिविल सर्जन, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 मनोज चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गयाजी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

06/07/2026

सरकार के अवर सचिव।